न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 14/2025(GCMS 2025/95)
(आरटीआई संख्या 212676903162161)

श्री सीताराम पुत्र केसराराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 17, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सीताराम स्वयं उपस्थित नहीं हुए, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.12.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सीताराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.12.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

वार्ड नं. 17 अनूपगढ़, शनि मन्दिर के पास रहने वाला है। उक्त कॉलोनी कस्टोडियन कॉलोनी है। प्रार्थी के पडौसी के पास एक पट्टा मार्च 1961 का मांगीलाल पुत्र देवाराम नाई के नाम से जारी है। प्रार्थी कस्टोडियन कॉलोनी नक्शा की नकल लेना चाहता है, प्रार्थी को उक्त नक्शा की नकल दी जावे या सम्बन्धित कार्यालय के बारे में बताया जावे।

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/25/350 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र 807 दिनांक 27.03.2025 (ई–डाक) एवं 855 दिनांक 09.04.2025 से लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है, न ही उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:34:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ द्वारा बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में अपीलर्थी को कोई जवाब प्रेषित किया हो, यह ज्ञात नहीं होता है। उनके द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नही? जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी आवेदक द्वारा वांछित सूचना देय होने की स्थिति में उसे निःशुल्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **इस कार्यालय के द्वारा बार–बार लिखे जाने के पश्चात भी उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ द्वारा अपील का कोई जवाब नहीं भिजवाया गया है, जिससे अपील निस्तारण समय पर नहीं हो पाया। उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा विर्निदिष्ट अवधि में वांछित सूचना/विनिश्चय नहीं देकर तथा आवेदन का**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

निस्तारण विहित समय पर नहीं करना राजकार्य में बरती लापरवाही और निष्क्रियता का द्योतक है। अतः आपको सावचेत किया जाता है कि आप अपने दायित्व की विहित अवधि में पालना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:06 IST
Reason: SelfAttested